Government of Himachal Pradesh
HP Building & Other Construction Workers Welfare Board Hamirpur H.P.

No. HPBOCW/LWO/Clarification-Notification/HMR/2023- 645 Dated:- 7/8/2023

O/o Block Development Officer Bijhari Distt. Hamirpur (H.P.)
Dy. No 1525
Date 4/8/23

To

Block Development Officer,
Hamirpur, Tauni Devi (Bamson), Bhoranj, Bijhari, Sujanpur, Nadaun.
Distt. Hamirpur H.P.

Subject: - Regarding verification of employment certificates by Panchyat Secretaries

Respected Sir/Madam,

This letter is to inform the worthy Office of Block Development Officer that HPBOCW Welfare Board deals with registration of non mgnrega construction workers and providing them various welfare measures (pamphlet enclosed). In this regard, we have to take work/employment certificate mentioning details of the constructions work that the applicant has done.

In this regard, please find enclosed herewith a copy of notification no. Shram(A)3-9/2021 dated 8th February, 2023 from Government of India, Department of Labour and Employment, vide which Section 266(3) of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Worker (Regulation of employment and conditions of service) rule, 2008 has been amended which authorized the Panchyat Secretaries to verify the employment certificate for the work executed in their respective Zone/Area.

In this connection, worthy Block Development Officer is requested to kindly direct the Panchyat Secretaries of respective block to verify the employment certificate of the building and other construction worker (sample of employment certificate enclosed).

You are also requested that whenever you have meeting with you respective Panchayat secretaries then kindly inform the Labour Welfare Office Hamirpur and give us 15-20 minutes so that we can directly address their issues regarding this matter.

Reqd entry
Give copy to all sec in meeting
P.2
9/8/23
BDO
09/8/23

Labour Welfare Officer,
Hamirpur, Distt. Hamirpur H.P.
(01972-292305)

Copy to:-

1. Secretary HPBOCW Welfare Board Shimla for kind information please.

-sd-

Labour Welfare Officer,
Hamirpur, Distt. Hamirpur H.P.
(01972-292305)

रोजगार मंत्री (हि.प्र.)

अन्य निर्माण कामगार
कल्याण बोर्ड

# हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड

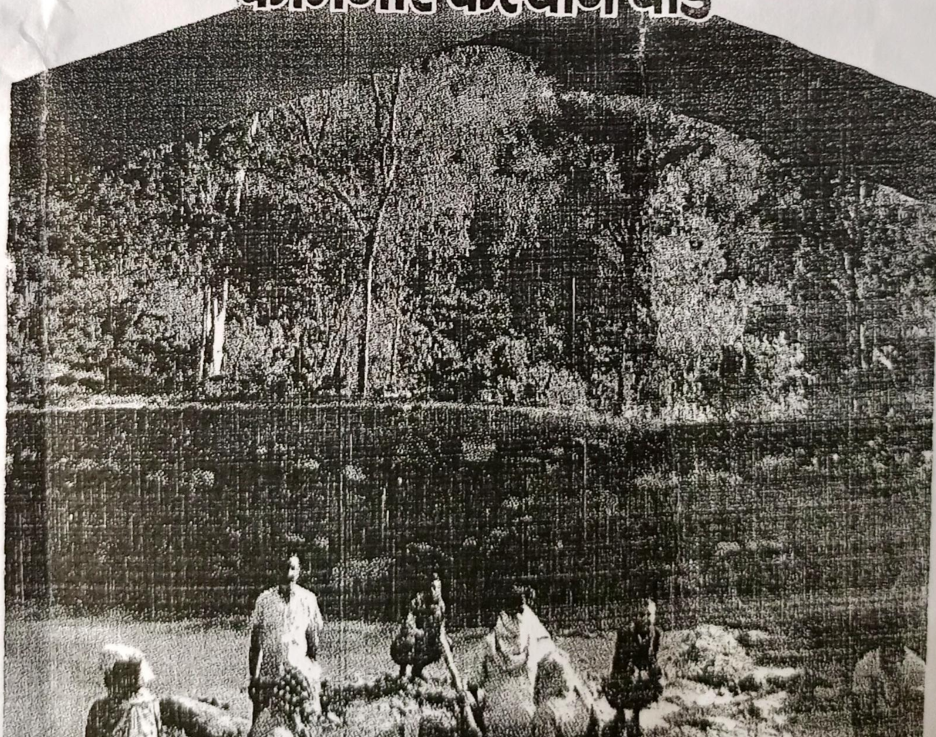

ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला-171002
दूरभाष : 0177-2625084, 2620210, 2020256
ई-मेल : hpbocwwboard@gmail.com

# हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला-2 (हि०प्र०)

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन 2 मार्च, 2009 को किया गया है। इस का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

## 1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य क्या है?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण (Transmission) एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज़ संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों, मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण या गिराये जाने से सम्बन्धित कार्य सम्मिलित हैं, कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य जैसे मनरेगा एवं अन्य सरकारी निर्माण में कार्यरत श्रमिक भी कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे, जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।

## 2. पंजीकरण कैसे करवाएं ?

क) पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

ख) 90 दिन का कार्य का प्रमाण पत्र।
प्रार्थी ने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक उपरोक्त कार्यों पर कार्य किया हो। इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य, मनरेगा या सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की अवधि मान्य होगी।

ग) पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित श्रम अधिकारी के कार्यालय में दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जैसे :

- i) परिवार रजिस्टर की प्रति
- ii) स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- iii) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
- iv) आधार कार्ड
- v) ड्राइविंग लाइसैंस
- vi) निर्वाचन मतदाता कार्ड

घ) पंजीकरण शुल्क मात्र 1/- रुपया एक ही बार देय है। बोर्ड का सदस्य लगातार बने रहने के लिए एवं योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कामगार (लाभार्थी) को 9/- रुपए

की दर से अग्रिम में अंशदान जमा करवाना होगा जो पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों के लिए मान्य होगा।

**3. प्रार्थी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कैसे करवाएं?**

प्रार्थी द्वारा अपनी सदस्यता जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 90 दिन का कार्य का प्रमाण पत्र (2.ख के अनुरूप) सम्बन्धित श्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। पंजीकरण के पश्चात हर तीन वर्षों के अंतराल पर 15/- रुपए अंशदान देय होगा।

4. हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए ऑनलाईन पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है जिसके लिए कामगार को बोर्ड की वैबसाईट bocw.hp.nic.in पर जाकर दिये गए दिशानिर्देशों के अनुसार अपना पंजीकरण कर सकता है।

## हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला-2 (हि॰प्र॰)

बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों/कामगारों (जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य किया हो) को बोर्ड द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण:-

| क्र॰सं॰ | योजना का नाम | पात्रता | देय राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | शादी हेतु वित्तीय सहायता (नियम-282) | दो माह की सदस्यता | पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के स्वयं के विवाह हेतु मु॰ 51,000/- रूपये (ईकावन हजार) रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु मु॰ 51,000/- (ईकावन हजार) रुपये प्रत्येक बच्चा। |
| 2 | मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा (नियम-271) | दो माह की सदस्यता | 1. पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मु॰ 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार) रुपये।<br>2. पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश।<br>3. पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक मु॰ 6,000/- रूपये प्रति प्रसव।<br>4. पुरूष लाभार्थी को पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर मु॰ 1000/- रूपये की राशि प्रदान की जाती है। |

<table>
<tr>
<td>3</td>
<td>चिकित्सा सहायता<br>( नियम- 280 )</td>
<td>सदस्यता</td>
<td>पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/ सरकार द्वारा पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/ सरकार द्वारा अनुमोदित / चयनित अस्पतालों / औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए मु० 50,000/- रूपये (पचास हजार), अंतरंग (Indoor) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए मु० 1,00,000/- रूपये (एक लाख) व गंभीर बीमारी के लिए मु० 5,00,000/- (पांच लाख रूपए)।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता<br>( नियम-281 )</td>
<td>दो माह की सदस्यता</td>
<td>पंजीकृत सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता:
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रथम कक्षा से आठवीं स्तर तक</td><td>मु० 8,400/- प्रत्येक वर्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नौवीं से 10+2 स्तर तक</td><td>मु० 12,000/- प्रत्येक वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्नातक: बी.ए./बी.एस.सी. /बी.कॉम/बी.बी.ए. या इसके बराबर</td><td>मु० 36,000/- प्रत्येक वर्ष</td></tr>
<tr><td>4</td><td>स्नातकोत्तर: कला/वाणिजय/विज्ञान</td><td>मु० 60,000/- प्रत्येक वर्ष</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि : एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष</td><td>मु० 48,000/- प्रत्येक वर्ष</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पौलिटेक्निक डिप्लोमा (तीन वर्ष)</td><td>मु० 60,000/- प्रत्येक वर्ष</td></tr>
<tr><td>7</td><td>व्यवसायिक जैसे मैडिकल/ इंजीनियरिंग इत्यादि/पी.एच.डी. /अनुसंधान</td><td>मु० 1,20,000/- प्रत्येक वर्ष</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | पैंशन सुविधा ( नियम-273 ): बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व तीन वर्षों में लगातार लाभार्थी रहा हो। | | पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पैंशन का हकदार होगा, न्यूनतम पैंशन मु॰ 1,000/--रूपए (एक हजार) प्रतिमाह। |
| 6 | विकलांगता पैंशन ( नियम- 275 ) | सदस्यता | पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बिमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में मु॰ 500/- रूपये (पांच सौ) की राशि प्रतिमाह बतौर पैंशन देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में मु॰ 50,000/- रूपये (पचास हजार) और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता में मु॰ 25,000/-रूपये (पच्चीस हजार) की राशि प्रदान की जाती है। |
| 7 | अन्तिम संस्कार हेतु सहायता ( नियम- 277 ) | सदस्यता | नाम निर्देशितों/आश्रितों को मु॰ 20,000/- रूपये (बीस हजार) की राशि देय होगी। |
| 8 | मृत्यु सहायता ( नियम-278 ) | सदस्यता | यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु कहीं भी किसी दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को मु॰ 4,00,000/- रूपये (चार लाख) एवं प्राकृतिक मृत्यु पर मु॰ 2,00,000/- रूपये (दो लाख)। |
| 9 | बेटी जन्म उपहार योजना ( नियम- 298 ) | दो माह की सदस्यता | पंजीकृत लाभार्थी को बालिकाओं के जन्म पर मु॰ 51,000/- रूपये (ईकावन हजार) (अधिकतम दो बेटियों तक) की राशि एफ.डी.आर के रूप में बोर्ड द्वारा दी जाएगी तथा जिसे बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही निकाला जा सकता है। |
| 10 | मानसिक रूप से मंद /अपंग बच्चों के लिए योजना ( नियम-299 ) | सदस्यता | पंजीकृत लाभार्थी के मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों, की देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा मु॰ 20,000/- रूपये (बीस हजार) की राशि प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाएगी। |
| 11 | विधवा पैंशन योजना ( नियम- 300 ) | - | पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को मु॰ 1500/- रूपये (पन्द्रह सौ) की राशि प्रत्येक माह बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। |
| 12 | होस्टल सुविधा योजना ( नियम- 301 ) | दो माह की सदस्यता | पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मु॰ 15,000 रूपये (पन्द्रह हजार) से मु॰ 20,000 रूपये ( बीस हजार) तक की राशि आवास, बोर्डिंग तथा भोजन के लिए प्रदान की जाएगी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | मुख्यमंत्री आवास योजना/ पी.एम.ए.वाई. ( नियम- 302 ) | दो माह की सदस्यता | पंजीकृत लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मु॰ 1,50,000/- रूपये (एक लाख पचास हजार) की राशि उनके पी.एम.ए.वाई. या एम.ए.वाई योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मकान बनाने हेतु बोर्ड द्वारा अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। |

टिप्पणी :

उपरोक्त विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी हेतु कृपया अपने सम्बन्धित श्रम अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें या बोर्ड की वेबसाईट www.hpbocwb.nic.in देखें।

अधिक जानकारी हेतु संबंधित श्रम अधिकारी या बोर्ड के निम्न दूरभाष संख्या:-0177-2629807, 2620256, 2620210, 2625084 पर सम्पर्क करें।

# नियुक्ति /रोजगार प्रमाण पत्र

................................................ पंजीकरण संख्या : ................................................

कार्य स्वरुप : बढ़ई / पेन्टर / प्लम्बर / इलेक्ट्रीशियन / मिस्त्री / लेबर / बेलदार / अन्य................................................

| क्र. | नियोक्ता का नाम व पता | दूरभाष / मोबाईल न. | कार्य अवधि | | कार्य दिवस | प्रस्थापना में कामगारों की संख्या | वेतन / दिहाड़ी की दर | निर्माण कार्य का पूर्ण नाम | नियोक्ता के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं यदि उपरोक्त तथ्यों में कुछ भी गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा / रहूंगी।

(कर्मकार के हस्ताक्षर)

(क) यदि कामगार पंजीकृत ठेकेदार अथवा सरकारी **संस्थान** / पंजीकृत संस्था के अन्तर्गत कार्यरत है :–

हस्ताक्षर

दिनांक : ..........................................

(पंजीकृत ठेकेदार अथवा सरकारी संस्थान / पंजीकृत प्रस्थापना के मुखिया द्वारा) मोहर सहित

**<u>अथवा</u>**

(ख) उपरोक्त (क) न होने की स्थिति में :

Secretary - cum - Chief Executive Officer,
HP Building & Other Construction
Workers Welfare Board, Shimla (H.P.)

सत्यापित

हस्ताक्षर

सम्बन्धित निर्माण कामगार संघ द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता / मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका अथवा नगर परिषद / सचिव पंचायत (मोहर सहित)

श्रम अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

दिनांक : ..........................................

oritative English Text of this Department notification No. Shram(A)3-9/2021 date 08th February, 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Labour &Employment.
*****

No. Shram(A)3-9/2021 Dated Shimla-171002 the 08th February, 2023.

**NOTIFICATION**

In exercise of powers conferred by section 40 and 62 read with section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the expert committee, constituted under section 5 of the said Act is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:-

**Short-title and commencement.**

**1.** (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) First Amendment Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**Amendment of rule 266.**

**2.** For sub-rule (3) of rule 266 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, the following shall be substituted, namely:-

"(3) The application for registration shall be accompanied with any of the following documents, provided that the applicant has worked for at least 90 days in the preceding twelve months:-

(i) A certificate or wage slip or copy of Muster Roll or Attendance Register from the employer/ contractor to the effect that the applicant is a construction worker. It must contain the following information:-

(a) Particulars of the Construction Worker clearly mentioning period of employment;

(b) Full information about the employer's/ contractor's name;

(c) Name of work/ title of the work and cost etc.; and

(d) Whether employer/ contractor has paid cess for the work executed:

Provided that all such certificates/ documents shall be got verified by the Authorized Officer of the Board for the area concerned.

(ii) If certificate or documents as per clause (i) above are not available, a certificate issued either by Executive Officer of the Urban Local Bodies or Secretary of the Nagar Panchayat or respective Councillor/ Member of Ward Sabha in Municipal Corporation area or Panchayat Secretary of the Gram Panchayat, containing information regarding period of employment of Worker, Name of the Construction Work etc., may also be considered.

(iii) The work period of 90 days under clauses (i) and (ii) above during the preceding twelve months shall be clubbed for considering registration of the worker.".

By order,

Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Shram(A)3-9/2021 Dated Shimla-171002 the 08th February, 2023

Copy forwarded for information and necessary to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.
2. The Addl. Legal Remembrance-Cum-Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh, Shimla.
4. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
5. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
6. The Secretary-cum-CEO, HP BOCW Welfare Board Thakur Vatika, Khalini, Shimla-171002, Himachal Pradesh.
7. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary(Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

****